<u>दिनांक 4 फरवरी 2020</u>

नोटिस NSDC-PMKVY RPL-RFP-04/02/2021 (हिन्दी)

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (2020-21) के पूर्वानुभव की मान्यता कार्यक्रम की श्रेणी 1 एवं 2 के तहत प्रमाणित करने के लिए सुपात्र संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित

1. पहले से सीखे-सिखाए कुशलकर्मियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (2020-21) के पूर्वानुभव की मान्यता कार्यक्रम की श्रेणी 1 एवं 2 के तहत प्रमाणित करने के लिए सुपात्र संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। सुपात्रता की शर्तें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा गत 22 जनवरी 2020 को जारी किए गए प्रस्ताव आमंत्रण प्रपत्र में देखी जा सकती हैं, जो निगम के वेबसाईट https://nsdcindia.org/notice-current पर उपलब्ध हैं।
2. परियोजना का क्रियांवयन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (2020-21) के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इन दिशा निर्देशों का उल्लेख https://www.msde.gov.in/sites/default/files/2021-01/PMKVY%20Guideline%20report_(06-01-2021)_V5.pdf में किया गया है। आवेदनकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करने से पहले इन दिशा निर्देशों को अवश्य पढ़ लेंगे।
3. आवेदने करने के इच्छुक संस्थानों को https://rplpmkvy3.nsdcindia.org/ पर जाकर ऑनलाईन आवेदन करना होगा तथा हाथ के हाथ आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करना होगा।
4. केवल ऑनलाईन रीति से जमा कराए जानेवाले आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2020 है। इस तिथि के बाद आवेदन जमा नहीं कराया जा सकेगा और ना ही लिखित रूप में जमा किए गए आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।

आवश्यक निर्देश

a) कोविड 19 महामारी के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए इस संबंध में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुझाए गए रोक-थाम के तौर-तरीकों का पालन करना आवश्यक है ताकि कोविड 19 को फैलने से रोका जा सके। इस बारे में कुछ और दिशा निर्देश कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा जारी प्रपत्र में भी दिए गए हैं, जिन्हें http://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/OMs-and-SOP-for-opening-of-TCs-underPMKVY-2016-20.pdf पर देखा जा सकता है।
b) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (2020-21) सीमित समय के लिए लागू की गई है और इसका लक्ष्य भी सीमित रखा गया है। श्रेणी 1 के कार्यक्रमों का संचालन कैम्प में किया जाना है,

जबकि श्रेणी 2 के कार्यक्रमों का संचालन नियोक्ता के परिसर में किया जाना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सोच-समझकर आवेदन करें।

c) इस बारे में किसी तरह की आशंका होने पर या इससे जुडे किसी गैर-तकनीकी मामले के समाधान के लिए आप हमें rplpmkvy3.0@nsdcindia.org पर लिख सकते हैं।

d) यदि आपको आवेदन करने में किसी तरह की तकनीकि सहायता की जरूरत हो तो आप सोमवार से शुक्रवार के बीच किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक फोन नंबर 8826981439 या 8826981479 पर संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा जारी

301 (तृतीय मंजिल) वर्ल्ड मार्क 3, एरोसिटी

नई दिल्ली - 110037

वेबसाईट www.nsdcindia.org